संख्या-22/2024/आई/770806/001/23-7-2024-23-7005-55-2024

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता बजट 'क' वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ:दिनांक: 15 अक्टूबर, 2024

विषय:-पी0जी0वाद संख्या-01/2019 श्री जय प्रकाश, से0नि0 मेट बनाम अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा में मा0 नियंत्रण प्राधिकारी, अन्तर्गत उपादान संदाय अधिनियम-1972 एवं सहायक श्रम आयुक्त उ0प्र0, गोण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2023 के क्रम में डिक्रीटल मद से भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), बजट क वर्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक 10769बी0जी0/209बी(35)/2023-24, दिनांक 10.04.2024 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, पी0जी0वाद संख्या-01/2019 श्री जय प्रकाश, से0नि0 मेट अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा हेतु डिक्रीटल मद में धनावंटन सम्बन्धी मांग प्रस्ताव के संबंध में मा0 नियंत्रण प्राधिकारी, अन्तर्गत उपादान संदाय अधिनियम-1972 एवं सहायक श्रम आयुक्त उ0प्र0, गोण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2023 के क्रम में उप श्रम आयुक्त कार्यालय, गोण्डा में अण्डर प्रोटेस्ट जमा करने हेतु धनराशि रू0 6,91,836 (रूपये छः लाख इक्यानवे हजार आठ सौ छत्तीस मात्र) का अवांटन डिक्रीटल मद से किये जाने की एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) इस संबंध में होने वाल व्यय रूपये 6,91,836 (रूपये छः लाख इक्यानवे हजार आठ सौ छत्तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/ दस-2024-231/2024, दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

संख्या-22/2024/आई/770806/001/23-7-2024-23-7005-55-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, गोण्डा।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोण्डा।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन (गोण्डा)क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।
8- अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।
9- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।
10-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in